भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

क्रम सं. पी सी-VI/36 आर बी ई सं. 154 /2008

सं. पी सी-VI/2008/I/7/5/3 नई दिल्ली, दिनांक : 14.10.2008

महाप्रबंधक / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन - संगठित समूह "क" रेल सेवाओं के अधिकारियों की रेलवे बोर्ड कार्यालय में उपनिदेशक / संयुक्त निदेशक / निदेशक के रूप में नियुक्ति होने पर उन्हें स्वीकार्य रेलवे बोर्ड कार्यकाल भत्ते की दरों में संशोधन

रेलवे बोर्ड में उपनिदेशकों, संयुक्त निदेशकों और निदेशकों के रूप में तैनात संगठित समूह "क" रेल सेवा के अधिकारी इस कार्यालय के 28.5.98 के पत्र सं. पी सी-V/98/I/7/3 के अनुसार रेलवे बोर्ड कार्यकाल भत्ते के पात्र हैं।

2. सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट की स्वीकृति के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति सहर्ष यह विनिश्चय करते हैं कि रेलवे बोर्ड कार्यालय में उप निदेशकों, संयुक्त निदेशकों और निदेशकों के रूप में तैनाती होने पर, संगठित समूह "क" रेल सेवाओं के अधिकारी नीचे पैरा 4 में यथाअनुबंधित निबंधनों एवं शर्तों पर अपना मूल वेतन जमा रेलवे बोर्ड कार्यकाल भत्ता पाने के हकदार होंगे।

3. राष्ट्रपति जी आगे यह भी सहर्ष विनिश्चय करते हैं कि रेलवे बोर्ड सचिवालय में उपनिदेशकों/संयुक्त निदेशकों/निदेशकों के पदों पर उनकी नियुक्ति होने पर गैर-रेलवे संगठित समूह "क" सेवा के अधिकारी या तो पद के लिए स्वीकार्य संशोधित वेतन बैंड और संलग्न ग्रेड वेतन में अपना वेतन निर्धारित कराने के पात्र होंगे अथवा नीचे पैरा 4 में यथाअनुबंधित निबंधनों एवं शर्तों पर मूल वेतन जमा कार्यकाल भत्ता पाने के हकदार होंगे।

4. रेलवे बोर्ड कार्यालय में तैनाती होने पर रेलवे बोर्ड कार्यकाल भत्ता पाने के निबंधन एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

(i) रेलवे बोर्ड कार्यालय में उपनिदेशकों/संयुक्त निदेशकों/निदेशकों के रूप में तैनात संगठित समूह "क" रेल सेवा के अधिकारी एवं गैर-रेलवे संगठित समूह "क" सेवा के अधिकारी एक निर्धारित कार्यकाल के

अध्यधीन होंगे जिसकी समाप्ति पर वे क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों/निर्माण संगठनों इत्यादि में फील्ड पदों पर वापस रिवर्ट हो जाएंगे।

(ii) रेलवे बोर्ड कार्यालय में उपनिदेशकों/संयुक्त निदेशकों/निदेशकों के रूप में तैनात संगठित समूह "क" रेल सेवाओं से संबंधित अधिकारियों को उनके मूल वेतन के 10% की दर पर रेलवे बोर्ड कार्यकाल भत्ते का भुगतान किया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 4000 रुपए होगी।

(iii) भत्ते का भुगतान उपनिदेशकों के लिए 3 वर्ष, संयुक्त निदेशकों के लिए 4 वर्ष और निदेशकों के लिए 5 वर्ष के सामान्य कार्यकाल के बाद नहीं किया जाएगा।

(iv) रेलवे बोर्ड कार्यालय में तैनात कार्यपालक निदेशकों एवं ऊपर के स्तर के अधिकारियों को कोई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(v) यह भत्ता उन उपनिदेशकों/संयुक्त निदेशकों/निदेशकों को स्वीकार्य नहीं होगा जिनका अधिवर्षिता के बाद कार्यकाल बढ़ा दिया गया हो अथवा जिनका पुनर्नियोजन किया गया हो।

(vi) उन मामलों में जहां कार्यकाल तैनाती किसी निचले ग्रेड वेतन के पद के लिए है, तो ऐसे पद पर जाने वाला अधिकारी ऐसी कार्यकाल तैनाती से पहले धारित पद पर आहरित किए जा रहे वेतन में कोई परिवर्तन किए बिना कार्यकाल पद पर संलग्न ग्रेड वेतन आहरित करेगा।

संशोधित वेतन ढांचे में **"मूल वेतन"** का अर्थ निर्धारित वेतन बैंड जमा लागू ग्रेड वेतन में आहरित वेतन से है परंतु इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है :-

5. ये आदेश 1 सितंबर, 2008 से प्रभावी होंगे।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

(कोशी थॉमस)
संयुक्त निदेशक, वेतन आयोग-II
रेलवे बोर्ड.

सं. पी सी-VI/2008/I/7/5/3 नई दिल्ली, दिनांक : 14.10.2008

प्रतिलिपि ए डी ए आई (रेलें), नई दिल्ली को अग्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियां)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

S.No.PC-VI/36 R.B.E. No. 154 /2008

No.PC-VI/2008/I/7/5/3 New Delhi, dated 14.10.2008

The GMs/CAO (R)
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)

Sub - Implementation of the recommendations of Sixth Central Pay Commission – Revision of the rates of Railway Board Tenure Allowance applicable to officers of Organised Group 'A' Railway Services on their appointment as Deputy Directors/ Joint Directors/ Directors in Railway Board's office

The officers of Organised Group 'A' Railway Services posted as Deputy Directors, Joint Directors and Directors in the Railway Board are entitled for the payment of Railway Board Tenure Allowance in terms of this office letter No. PC-V/98/I/7/3 dated 28.05.98.

2. Consequent upon the acceptance of the Report of Sixth Central Pay Commission by the Government, the President is pleased to decide that on their posting as Dy. Directors, Joint Directors and Directors in the office of Railway Board, the officers of the Organised Group 'A' Railway Services will be entitled to draw their basic pay plus Railway Board Tenure Allowance on the terms and conditions as stipulated in para 4 below.

3. The President is further pleased to decide that the officers of the non-Railway organized Group 'A' services on their appointment to the posts of Dy. Directors/Joint Directors /Directors in the Railway Board Secretariat will be entitled either to get their pay fixed in the applicable revised pay bands and grade pay attached to the post or to draw basic pay plus Tenure Allowance, on the terms and conditions as stipulated in para 4 below.

4. The terms and conditions for drawing Railway Board Tenure Allowance on posting in Railway Board's office will be as under :-

(i) The Officers of Organised Group 'A' Railway Services as well as the Officers of the non-Railway Organised group 'A' service posted in the Railway Board's office as Deputy Directors/Joint Directors / Directors will be subjected to a prescribed tenure, on the expiry of which they will be reverted to field posts in Zonal Railways/ Production Units/ Construction Organisations etc..

(ii) Officers belonging to organized Group 'A' Railway Services posted in Railway Board's office as Dy. Directors/Joint Directors/ Directors will be paid Railway Board Tenure Allowance at the rate of 10% of their basic pay, subject to a ceiling of Rs.4000.

(iii) The allowance will not be paid beyond the normal tenure of 3 years for Dy. Directors, 4 years for Joint Directors and 5 years for Directors.

(iv) No allowance will be admissible to the officers of the Services posted as Executive Directors and above in the Railway Board's office.

(v) This allowance shall not be admissible to those Dy. Directors/Joint Directors/Directors who are given extension or re-employment after superannuation.

(vi) In cases where the tenure posting is to a post with a lower grade pay, the officer going to such a post will draw the grade pay attached to the tenure post without any change in the band pay that was being drawn in the post being held before such tenure posting.

'Basic Pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed pay band plus the applicable grade pay but does not include any other type of pay like special pay, etc.

5. These orders shall take effect from 1st September, 2008.

6. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Koshy Thomas)
Joint Director, Pay Commission- II
Railway Board

No. PC-VI/2008/I/7/5/3 New Delhi, dated 14.10.2008

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways